पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 मई, 2025 ई0 (बैशाख 20, 1947 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	रु0 3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	375–387	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	129–138	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	155–157	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

12 मार्च, 2025 ई0

संख्या–147/XXVI/एक(12)/2008 (ई–81662)–राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री राजकुमार, संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक, राज्य योजना आयोग के रिक्त पद पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक के पद एवं वेतनमान रू0 123100–215900 ग्रेड वेतन रू0 8700 (लेवल–13) पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री राजकुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3– श्री राजकुमार को उत्तराखण्ड, राज्य योजना आयोग, शोध (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

02 मई, 2025 ई0

संख्या–07नो–A/XXXVI-A-1/2025-08 रिट/2010–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री महादेव प्रसाद, अधिवक्ता को दिनांक 02–05–2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील मसूरी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री महादेव प्रसाद, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,
प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.07 No-A/XXXVI-A-1/2025-08 Writ/2010, Dated- May 02, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

May 02, 2025

No. 07 No-A/XXXVI-A-1/2025-08 Writ/2010--In exercise of the powers conferred by

Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Mahadev Prasad, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 02-05-2025 for **Tehsil Mussoorie, District Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Mahadev Prasad, Advocate** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

सिंचाई अनुभाग–1

अधिसूचना प्रकीर्ण

25 अप्रैल, 2025 ई0

EFile No.62119/01(48)/2011–राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2018 (जिसे यहां आगे मूल नियमवाली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 5 के उपनियम (1) के विद्य मान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) 24 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे नलकूप मिस्त्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और जो नियम 8 के अधीन विहित अर्हतायें रखते हो, में से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमवाली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	(घ) चौबीस प्रतिशत (24%) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे नलकूप मिस्त्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 हों, में से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नियम 8 में "या पदोन्नति" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

पदोन्नति/विज्ञप्ति

30 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या–360/XLI-B-1/2025-36(प्रशि0)/2021/E-17831–कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रधानाचार्य (श्रेणी–2) के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरांत उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1) वेतनमान (रू0 15600–39100, ग्रेड पे–6600) मैट्रिक्स लेवल–11 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदोन्नति का पद
1	श्री नितिन कुमार शर्मा	उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1)
2	श्री शैलेन्द्र मोहन शर्मा	उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1)
3	श्री निरंजन कुमार खुगशाल	उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1)
4	श्री दिनकर रौतेला	उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1)

2– उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप उप निदेशक/उप शिशिक्षु परामर्शदाता/प्रधानाचार्य (श्रेणी–1) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नत कार्मिकों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
सी0 रवि शंकर,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

1 मई, 2025 ई0

संख्या–210/17/उद्योग/2013/VII-A-2/2025–राज्यपाल, "मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021" में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

प्रस्तर–vii का संशोधन– "मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021" में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर–vii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्रस्तर	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।	यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 30 जून, 2025 अथवा नई नीति के प्रख्यापित होने तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या–525/XX-1-2025-03(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल–10) के पदों पर प्रोन्नति कोटे की निरीक्षक, नागरिक पुलिस, निरीक्षक, अभिसूचना तथा दलनायकों (निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्रतिसार निरीक्षक इत्यादि) की चयन वर्ष 2024–25 में दिनांक 30.04.2025 को घटित होने वाली परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थायी निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर दिनांक 01.05.2025 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

चयन वर्ष 2024–25

पोषक संवर्ग :: दलनायक (निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्रतिसार निरीक्षक इत्यादि)

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1	श्री मनीष शर्मा

2. उक्त स्थायी निरीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:–

(1) उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।

(2) उक्तवत पदोन्नत अधिकारी की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालांतर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(3) पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

(4) उक्तवत् पदोन्नति निरीक्षक, नागरिक पुलिस की निर्गत अंतिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध एवं उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली (संशोधित) 2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या : 676/एसबी/2024 आशुतोष सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या : 683/एसबी/2024 विवेक सनवाल व अन्य बनाम राज्य व अन्य एवं दलनायकों की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 7 पर अंकित दलनायक श्री मनीष जसवाल की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या : 542/एस0बी0/2023 मनीष शर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

अपूर्वा पाण्डेय,

अपर सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

विविध

28 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या–I/293166/VI(1)/2025–तीर्थाटन इस क्षेत्र की एक प्रमुख पर्यटन विधा रही है, जिसमें चारधाम यात्रा, नन्दादेवी राजजात यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा आदि कुछ प्रमुख धार्मिक यात्रायें हैं। वर्तमान समय में बेहतर परिवहन व्यवस्था, सड़क, रेल एवं वायु सेवा की सुलभता के कारण इन यात्राओं/मेलों में तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख धार्मिक यात्राओं/मेलों के उचित प्रबन्धन हेतु एक पृथक नियंत्रण एवं प्रबन्धन इकाई की आवश्यकता के दृष्टिगत **'उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद्'** के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1–प्रस्तावना

उत्तराखण्ड जोकि देवभूमि के नाम से देश–विदेश में सुविख्यात है, में विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ही हेमकुण्ड, पूर्णागिरी, नानकमत्ता, नीलकंठ महादेव, नंदा देवी, कैंची धाम जैसे अनेकों धार्मिक मंदिर/स्थल विद्यमान है। पतित पावनी मां गंगा एवं यमुना के उद्गम स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। अनादि काल से ही तीर्थाटन इस क्षेत्र की एक प्रमुख पर्यटन विधा रही है, जिसमें चारधाम यात्रा, नंदा देवी राजजात, आदि कैलाश यात्रा आदि कुछ प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं। इसके साथ ही कुंभ मेला, माघ मेला, पूर्णागिरी मेला, बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला आदि कई मेले प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए हैं।

वर्तमान समय में बेहतर परिवहन व्यवस्था, सड़क, रेल एवं वायु सेवा की सुलभता के कारण इन यात्राओं /मेलों में तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख धार्मिक यात्राओं/मेलों के उचित प्रबन्धन हेतु एक पृथक नियंत्रण एवं प्रबन्धन इकाई की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये प्रस्तर–7 में सूचीबद्ध धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के लिए "उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद्" का गठन किया जा रहा है।

2–उद्देश्य

परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् होंगें:–

2(1) धार्मिक यात्राओं एवं मेलों हेतु समुचित प्रबन्धन एवं संचालन।

2(2) धार्मिक यात्राओं एवं मेलों हेतु बेहतर मुलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, सुदृढीकरण तथा रखरखाव आदि करना।

2(3) धार्मिक यात्राओं एवं मेलों को सहज, सुगम, सुरक्षित एवं सुखद बनाया जाना।

3–संरचना

प्रस्तर–2 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु त्रिस्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	समिति का नाम	अध्यक्षता
01	नीति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन समिति	मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड़
02	नियोजन एवं समन्वय समिति	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन
03	क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति	मण्डल आयुक्त गढवाल/कुमाऊँ

4– नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति

नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति, उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद हेतु राज्य की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था होगी। इस समिति के द्वारा ऐसे समस्त कार्य किये जायेंगें जोकि परिषद् के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

4.1 नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति के सदस्य

(क)–सरकारी सदस्य

1	मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2	मा0 धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड़	उपाध्यक्ष
3	मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड़	सदस्य
4	मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड़	सदस्य
5	मा0 लोक निर्माण विभाग मंत्री, उत्तराखण्ड़	सदस्य
6	मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड़	सदस्य
7	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित विधायकगण, उत्तराखण्ड़ (नामित मा0 विधायकगणों की अधिकतम संख्या पांच तथा कार्यकाल एक वर्ष होगा)	सदस्य
8	अध्यक्ष, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति	सदस्य
9	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन	सदस्य

10	सचिव, पर्यटन/धर्मस्व एवं तीर्थाटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
11	मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ	सदस्य
12	12–विशेष आमंत्रित सदस्य (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	

(ख)–गैर सरकारी सदस्यः–

राज्य सरकार द्वारा अधिकतम पांच गैर सरकारी सदस्य जोकि धर्मस्व/तीर्थाटन/संस्कृति, होटल व रैस्टोरेंट, ट्रैवल एण्ड टूर, अन्य व्यापार तथा पर्यटन व्यवसाय के हितधारकों से सम्बन्धित हो, को इस समिति में नामित किया जा सकेगा। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 01 वर्ष होगा, किन्तु कोई भी सदस्य लगातार दो वर्षो के लिए इस समिति का सदस्य नही रह सकेगा।

4.2 नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति के मुख्य कार्य/दायित्व/अधिकार

1– धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के लिए नीतियां निर्धारित करना।

2– धार्मिक यात्राओं एवं मेलों को सुगम सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शन करना।

3– समय–समय पर अन्य धार्मिक यात्राओं एवं मेलों को सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना।

4– क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति के प्रस्ताव पर नियोजन एवं समन्वय समिति की संस्तुति के क्रम में किसी यात्रा/मेले को निरस्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

5– प्रस्तर–2 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत करना।

6– इस समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बैठक आयोजित की जानी होंगी।

5– नियोजन एवं समन्वय समिति

धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के उचित प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीयनियोजन एवं समन्वय समिति होगी, जोकि नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति से प्राप्त नीतियों/निर्देशों एवं मार्गदर्शन के आधार पर क्रियान्वयन एवं नियंत्रण समिति के द्वारा कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कराने के साथ ही दोनो समिति के मध्य सेतु का कार्य करेगी।

5.1 नियोजन एवं समन्वय समिति की संरचना

1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव गृह	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव पशुपालन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव/सचिव वन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव/सचिव नागरिक उड्डयन	सदस्य
14	मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ	सदस्य
15	विशेष आमंत्रित सदस्य (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	

5. 2 नियोजन एवं समन्वय समिति के मुख्य कार्य/दायित्व/अधिकार

1– नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति द्वारा तैयार की गई नीतियों/निर्गत निर्देशो के क्रियान्वयन आदि से सम्बंधित परियोजनाओं के नियोजन एवं सृजन, सुदृढीकरण व रखरखाव आदि के पर्यवेक्षण सम्बंधी कार्य।

2– धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के विकास/प्रबन्धन आदि हेतु क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति द्वारा तैयार की गयी मानक संचालन विधि/दिशा निर्देश/कार्ययोजना पर अनुमोदन प्रदान करना।

3– सहज, सुगम, सुरक्षित एवं सुखद यात्रा हेतु आवश्यकतानुसार निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करवाना।

4 – क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं उनका मार्गदर्शन करना।

5– अंतर–विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कार्यो का सुनियोजित रूप से सम्पादित करवाना।

6– क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति के द्वारा तैयार विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना को नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु संस्तुत करना।

7– नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य।

8– इस समिति की वर्ष में न्यूनतम चार बैठक आयोजित की जानी होगीं।

6– क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति

धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के उचित प्रबन्धन हेतु मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति होगी, जो कि प्रस्तर–2 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित नीतियों/निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।

6.1 क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति की संरचना

मण्डल स्तर पर निम्नवत् समिति होगी :–

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बन्धित यात्रा प्रबन्धन एवं नियत्रण संगठन	सदस्य सचिव
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	सदस्य

4	सम्बंधित जिलाधिकारी	सदस्य
5	प्रबन्ध निदेशक,जी0एम0वी0एन0/के0एम0वी0एन0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जोकि महाप्रबन्धक से अन्यून न हो	सदस्य
6	सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
7	सम्बंधित पुलिस अधीक्षक,यात्रा/ट्रैफिक	सदस्य
8	प्रत्येक धाम/मेंले/यात्रा से जुड़े मंदिर/मेला/यात्रा समिति से सचिव पर्यटन/धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद् द्वारा नामित दो प्रतिनिधि (नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा)	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता,यू0पी0सी0एल0	सदस्य
10	मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0–	सदस्य
11	मुख्य अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन	सदस्य
12	अपर निदेशक,स्वास्थ्य	सदस्य
13	उपायुक्त, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति	सदस्य
14	सम्बन्धित महाप्रबन्धक,जल संस्थान	सदस्य
15	सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
16	वित्त नियंत्रक, सम्बन्धित यात्रा प्रबन्धन एवं नियत्रण संगठन	सदस्य
17	विशेष आमंत्रित सदस्य(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	

6. 2 क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति के मुख्य कार्य/दायित्व एवं अधिकार

1– सूचीबद्ध यात्राओं एवं मेलों का आयोजन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण सम्बंधी कार्य।

2– राज्य में यात्राओं एवं मेलों के विकास हेतु मानक प्रचालन विधियां/दिशा निर्देश/ कार्ययोजना तैयार कर समन्वय एवं नियोजन समिति को संदर्भित करना।

3– श्रद्धालुओं/यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधाओं का सृजन, सुदृढीकरण तथा रखरखाव आदि कार्य करना।

4– धार्मिक यात्राओं एवं मेलों को सहज, सुगम, सुरक्षित एवं सुखद बनाये जाने हेतु समुचित कदम उठाना।

5– किसी आपदा/अपरिहार्य परिस्थिति होने पर यात्रा को अधिकतम सात दिनों तक तात्कालिकता के दृष्टिगत स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

6– किसी भी यात्रा को सात दिनों से अधिक स्थगित करने अथवा यात्रा को किसी वर्ष विशेष हेतु स्थगित/निरस्त किये जाने के लिए नियोजन एवं समन्वय समिति के माध्यम से नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति को प्रस्तावित करना।

7– श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक प्रासंगिक एवं अनुकूल कार्य करना।

9– धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला पंचायत, स्थानीय निकाय जैसे विभिन्न जनपद स्तरीय पदाधिकारियों को उचित निर्देश देना।

10– समय–समय पर अन्य धार्मिक यात्राओं एवं मेलों को सम्मिलित किये जाने हेतु नियोजन एवं समन्वय समिति के माध्यम से नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन समिति को प्रस्ताव संदर्भित करना।

11– समिति को सौपें गये कार्यों/उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु मण्डल आयुक्त को उपलब्ध बजट के अन्तर्गत रू0 01.00 करोड़ तक के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार होगें।

12– इस समिति की प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जानी होगीं।

6. 3 यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन

6.3(1) क्रियान्वयन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण समिति के प्रस्तर–6.2 में उल्लिखित कार्यो एवं दायित्वों के सम्पादन/निष्पादन हेतु यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन (गढवाल व कुमांऊँ) प्रशासकीय इकाई के रूप में कार्य करेगा।

6.3(2) यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन के पृथक–पृथक प्रशासनिक कार्यालय गढवाल मण्डल में ऋषिकेश तथा कुमाऊँ मण्डल में हल्द्वानी में अवस्थित होगें, जोकि सम्बन्धित मण्डलायुक्त के अधीन रहेगें।

6.3(3) इस संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि शासन के "अपर सचिव" स्तर से अन्यून स्तर का नही होगा अथवा सेवानिवृत्त आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी होगा संगठनाध्यक्ष के रूप के कार्य करेंगें। इस संगठन में आवश्यकतानुसार अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी होगें। यह संगठन स्थाई रूप से वर्षभर कार्यरत रहेगा।

6.3(4) शासनादेश सख्या–30902, दिनांक 25 मई, 2023 के द्वारा ग ि ठ त चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन ऋषिकेश ही यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन, गढ़वाल मण्डल ऋषिकेश के रूप में कार्य करेगा, एवं इस संगठन हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा सकेगा।

6.3(5) यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी के लिए पृथक से आवश्यकतानुसार पदों का सृजन कर संगठन का ढांचा तैयार किया जाएगा।

7– सूचीबद्ध धार्मिक यात्रा/मेले

(1) चारधाम यात्रा

(2) आदि कैलाश यात्रा

(3) पूर्णागिरी यात्रा

(4) नंदा देवी राजजात यात्रा

8–आय–व्यक व्यवस्था

यात्रा प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन (गढवाल व कुमाऊँ) द्वारा प्रशासनिक कार्यो, अवस्थापना सुविधा विकास, आदि हेतु वार्षिक आय–व्ययक विवरण एवं अनुपूरक मांगों को नियमानुसार तैयार कर निर्धारित समयसीमा में नोडल विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

आज्ञा से,

अभिषेक रूहेला,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/166–भाग 1–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 मई, 2025 ई0 (बैशाख 20, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CORRIGENDUM

February 06, 2025

No. 01/XIV-a-40/Admin.A/2016--In the Notification No. 451/XIV-a-40/Admin.A/2016 Dated 30.12.2024 of this Court, in place of **"19.10.2022"** be read as **"19.10.2024"**.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

I/c Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

14th February, 2025

No. 04/UHC/Admin.A/2025--Hon'ble Shri Justice Alok Mahra has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand, Nainital on **14.02.2025 at 10:15 A.M. pursuant to Notification No. K-13032/01/2023-US.II Dated: 12.02.2025** issued by Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi.

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

NOTIFICATION

February 17, 2025

No. 05/XIV-96/Admin.A/2003--Shri Nandan Singh, Additional District & Sessions Judge, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 13.01.2025 to 22.01.2025 with permission to prefix 11.01.2025 & 12.01.2025 and suffix 23.01.2025 as holidays for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

On transfer

February 21, 2025

No. 1224/UHC/Admin.A-2/2025--CERTIFIED that charge of office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned **in the forenoon of 21.02.2025** in compliance of Notification No. 15/UHC/Admin.A-2/2025 dated 19.02.2025 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

MANOJ GARBYAL,

Relieved Officer,

Countersigned

illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

On transfer

February 21, 2025

No. 1225/UHC/Admin.A-2/2025--CERTIFIED that charge of office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned **in the forenoon of 21.02.2025** in compliance of Notification No. 17/UHC/Admin.A-2/2025 dated 19.02.2025 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

DHARMENDRA SINGH ADHIKARI,

Relieving Officer,

Countersigned

illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या–152/नि0अनु0–भू0उप0परि0/बी–012/2025–आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

क्र0 सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून	754, 766, 767, 774	9629.00 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या–153/नि0अनु0–भू0उप0परि0/बी–011/2025–आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

क्र0 सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	ग्राम द्वारा परगना परवादून तहसील सदर, देहरादून।	भूमि खाता संख्या 305 (फसली वर्ष 1422 से 1427) खसरा नम्बर 18, 19, 24, 25, 26 तथा भूमि खाता संख्या–305 (फसली वर्ष 1422 से 1427) खसरा नं0 14, 18, 26	9446.654 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE (C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO 03/2025 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

April 29, 2025

Letter No. 15 P/Store/46/2024/10296--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/ XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

4. **Delivery Schedule**

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

6. **Packing of medicines/drugs/vaccines**

6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

7. **Transportation**

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. **Quality of medicines**

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. **Payments**

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

10. **Delays in Supplier's performance**

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

11. **Liquidated damages**

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. **Force majeure**

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual

capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.

22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.

23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply

a. Exports by the Contractor.
b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26. Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favor and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favor at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 02/2024 [M]

Enclosure of Notification no. 15P/Store/46/2024/10296 **Dated** April 29, 2024

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s. Alpine Biomedicals Pvt. Ltd. Plot No. 348, Sector-2, Industrial Growth Centre, HSIIDC, Saha-133104	Tel no/(M no. 7027770665) : (91) 133104 e-mail:alpinebiomedicals@gmail.com
2	M/s. Reliance Life Sciences Pvt. Ltd. R-282, T.T.D Area of MIDC, Thane-Belapur Road, Rabale Navi Mumbai Maharashtra India-400701.	Tel no/(M no) .: 91-22-40678000 e-mail: sujeet.kuar@relbio.com
3	M/s. Biological E Ltd. 18/1&3, Azamabad, Hydrabad-500020, Telangana.	Tel no/(M no.) .: 91-4068274166, 9335372124 e-mail: institution.sales@biologicale.com

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/46/2024/ 10296 Dated: April 29, 2024

List of medicines/items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 29-04-2025 to 28-04-2027.

SN	Name of medicines	Pack form	Name of firm	Rate per unit (per tab/Cap/amp/vial/phial/bottle) without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand (In INR only)	Tax/Duties (INR)	Rate per unit (per tab/Cap/amp/vial/phial/bottle) With Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including all taxes) (in INR only)	Consignee/ State Drug Ware House
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HBsAg (Rapid Test)	Per test	M/s. Alpine Biomedicals Pvt Ltd.	4.91	0.25	5.16	F.O.R
2	Anti-HCV Antibody (Rapid Test)	Per test		8.96	0.45	9.41	
3	HBsAg (Whole Blood Rapid Test kit)	Per test		5.14	0.26	5.40	
4	HBV Vaccine	Per unit	M/s. BIOLOGICAL E LTD.	170.00	8.50	178.50	
5	HBIG (Hepatitis "B" Immunoglobulin)	Per unit	M/s. Reliance Life Sciences Pvt. Ltd.	2100.00	105.00	2205.00	

5

SUNITA TAMTA,
Director General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/166–भाग 1–क–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 मई, 2025 ई0 (बैशाख 20, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं लक्ष्मी रावत पत्नी मनीष सिंह रावत निवासी बटेश्वर वार्ड नं0 4 उखीमठ रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड। मेरा नाम शादी से पूर्व लक्ष्मी पंवार था जोकि शादी के पश्चात लक्ष्मी रावत हो गया है। भविष्य में मुझे लक्ष्मी रावत के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

लक्ष्मी रावत पत्नी मनीष सिंह रावत
निवासी बटेश्वर वार्ड नं0 4 उखीमठ रूद्रप्रयाग
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 611147180164 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सिमरन दर्ज हो गया हैं। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम करीना है। जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं0 B-2022:5-90170-015314 व हाईस्कूल अनुक्रमांक 24033744 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को करीना माँ शबनम पत्नी स्व0 अलगू सरोज के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शबनम पत्नी स्व0 अलगू सरोज
निवासी शीतला विहार अजबपुर खुर्द
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम राकेश चंद (RAKESH CHAND) से बदलकर राकेश चंद्रा (RAKESH CHANDRA) कर लिया है। भविष्य में मुझे राकेश चंद्रा (RAKESH CHANDRA) S/0 गोपाल चंद के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राकेश चंद (RAKESH CHAND)
(मौजूदा पुराना नाम)
S/O गोपाल चंद निवासी 39A, विष्णु गार्डन
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार 249404, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे, आधार कार्ड नं0 493841493498 में मेरा घरेलू नाम–कपिल कुमार दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रोहित कुमार है। भविष्य में मुझे रोहित कुमार पुत्र हरकरण के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रोहित कुमार पुत्र हरकरण
निवासी–नारसन खुर्द, हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने अपना नाम अकला देवी से बदलकर अलका देवी कर लिया है। भविष्य में मुझे अलका देवी पत्नी राम सिंह पंवार के नाम से जाना–पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अलका देवी पत्नी राम सिंह पंवार
निवासी–154, इन्दिरा नगर गली नं0–01
ऋषिकेश जिला–देहरादून,
उत्तराखण्ड–249201

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम SHANVI से बदलकर SARVAKSI कर लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को SARVAKSI D/O ABHINAWA POKHRIYAL के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ABHINAWA POKHRIYAL
निवासी वार्ड नं0–02, पहाडी गली, विकासनगर देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 985955726830 में उसका नाम ABDUL AHAD S/O FARID AHMAD दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम ABDUL AHAD से बदलकर ASHAR FARID कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं0 09/147 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को ASHAR FARID S/O FARID AHMAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

FARID AHMAD
निवासी 247, गणेश बाजार श्रीनगर
पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 538817059731 में उसका नाम FARIHA PARVEEN D/O FARID AHMAD दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम FARIHA PARVEEN से बदलकर AYEZA FARID कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं0 144/19 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को AYEZA FARID D/O FARID AHMAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

FARID AHMAD
निवासी 247, गणेश बाजार श्रीनगर
पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/166–भाग 8–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।